

MOST URGENT

**GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI
(RTI BRANCH, DTTE, Email:- piohqtte.delhi@gov.in)**

NO.F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.4797/ 1104-1105

Dated: 28/6/19

To

Sh. Ashok Kumar
S/O Sh. Om Prakash
Maham Road, Nai Basti, Gali No. 2
Bhiwani- 127021 (Haryana)
M. No.9034802690

Sub: Information sought under RTI Act-2005 for I.D. No. 4797 dated 31/05/19.

Sir,

With reference to your application received on **31/05/2019** vide ID No. **4797** addressed to the undersigned regarding supply of information under Right to Information Act 2005. The replies/information in r/o DTTE (HQ) provided by Custodians of record whose help was taken u/s 5(4) of RTI Act 2005 is as under:-

Information Sought	Information provided as per available records in the branches
Information as per Sl.No.1 to 7	The information does not pertain to this office. However the Recruitment Rules for the post of Workshop Instructor is enclosed herewith.

As per provisions of the RTI Act, 2005 u/s 19 (1), if you are not satisfied with the information, you may file an appeal to the 1st Appellate Authority. The address of First Appellate Authority is as under:-

**The First Appellate Authority,
Department of Training & Technical
Education, Room No.103, 1st Floor,
Pitampura, Delhi- 110034.**

Yours faithfully,


28.6.19
(JITENDER RATHI)
PIO (RTI) DTTE

Copy for information to:-

✓ 1. The System Analyst (Computer Branch), DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).

सेवा में,

श्रीमान् राज्य जन सूचना अधिकारी,
डायरेक्ट्रेट ऑफ ट्रेनिंग & टैक्निकल एजुकेशन दिल्ली (तकनीकी शिक्षा विभाग दिल्ली)
नियर पी.आई.टी., मुन्नी माया राम
जैन मार्ग, गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज, प्रीतमपुरा, दिल्ली-110034

विषय :-

आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत सूचना देने बारे।

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन यह है कि डायरेक्ट्रेट ऑफ ट्रेनिंग & टैक्निकल एजुकेशन दिल्ली (तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली) से मुझे कुछ सूचनाओं की आवश्यकता है सिविल सर्विसिज रूलज में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी पद के विरुद्ध आवश्यक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना नियुक्ति ना किया जायेगा। जिसमें यह भी वर्णित है कि उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट सक्षम मेडिकल अथोरिटी द्वारा According to the medical standards not lower than those required for the post on which he was been appointed, मंगी गई सूचनाओं की फोटोप्रति सी देने का कष्ट करें।

सूचना नं. 1. तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन राजकीय बहुतकनीकी में (वैलिंग शॉप) इन्स्ट्रक्टर/कर्मशाला अनुदेशक के जनरल कैटेगरी के पद के विरुद्ध किसी दिव्यांग व्यक्ति को कितनी फिजिकल दिव्यांगता के बाद भी चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट घोषित किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्ट एवं सुसंगत एवं सम्बन्धित नियमों की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

सूचना नं. 2 तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन राजकीय बहुतकनीकी में (मशीन शॉप) इन्स्ट्रक्टर/कर्मशाला अनुदेशक के जनरल कैटेगरी के पद के विरुद्ध किसी दिव्यांग व्यक्ति को कितनी फिजिकल दिव्यांगता के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट घोषित किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्ट एवं सुसंगत एवं सम्बन्धित नियमों की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

सूचना नं. 3 तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन राजकीय बहुतकनीकी में (टर्निंग शॉप) इन्स्ट्रक्टर/कर्मशाला अनुदेशक के जनरल कैटेगरी के पद के विरुद्ध किसी दिव्यांग व्यक्ति को कितनी फिजिकल दिव्यांगता के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट घोषित किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्ट एवं सुसंगत एवं सम्बन्धित नियमों की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

सूचना नं. 4 तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन राजकीय बहुतकनीकी में (फिटिंग शॉप) इन्स्ट्रक्टर/कर्मशाला अनुदेशक के जनरल कैटेगरी के पद के विरुद्ध किसी दिव्यांग व्यक्ति को कितनी फिजिकल दिव्यांगता के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट घोषित किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्ट एवं सुसंगत एवं सम्बन्धित नियमों की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

सूचना नं. 5 तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन राजकीय बहुतकनीकी में (कार्पेन्टरी शॉप) इन्स्ट्रक्टर/कर्मशाला अनुदेशक के जनरल कैटेगरी के पद के विरुद्ध किसी दिव्यांग व्यक्ति को कितनी फिजिकल दिव्यांगता के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट घोषित किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्ट एवं सुसंगत एवं सम्बन्धित नियमों की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

सूचना नं. 6 उपरोक्त में यदि ऐसे व्यक्ति को फिट नहीं माना जा सकता तो ऐसी स्थिति में इससे सम्बन्धित हिदायत/नियम की सत्यापित फोटोप्रति देने का कष्ट करें।

सूचना नं. 7 इस संबंध में यह भी जानकारी व नियमों की प्रति दी जाये कि तकनीकी पदों के विरुद्ध नियुक्त होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के बारे में कोई अलग से नियम व प्रकाशन है जो उक्त की सत्यापित फोटोप्रति दी जायें।

दिनांक 28.05.2019

सधन्यवाद,

Prashant Kumar
प्राथी

आई.पी.ओ. 44एफ 557383 रुपये 10/- आर.टी.आई फीस
आई.पी.ओ. 44एफ 557384 रुपये 10/- पेपर फीस

अशोक कुमार S/O श्री औमप्रकाश
महम रोड, नई बस्ती, गली नं० 2,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
मो. नं. 9034802690